

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

तारीख हुकम हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
 वनाम मु. सं.

23.02.16

आप पत्रावली पेश हुई।
 शर्मा इत्यादि। पत्नील शर्मा की
 बुझी। पत्रावली का अवलोकन किया गया
 वरु गौर वरु व अवलोकन परन्तु शर्मा
 का शर्मा पत्र रक्तीका योग्य नहीं
 पाया जाता है। इत्यादि शर्मा का
 रक्तीका किया जाय इत्यादि नहीं
 है।

अतः शर्मा का शर्मा पत्र
 सादर धरे के कारण रक्तीका किया
 जाता है। पत्रावली फौजल सुपुत्र धरे
 दाखिल वफुल है।

आदेश सुभाष गभी
 Mand
 उप खण्ड अधिकारी
 महवा (दौसा)